M&S

EST. 1884

ग्लोबल सोर्सिंग सिद्धांत

कई सालों से मार्क्स & स्पेन्सर यह सुनिश्चित करता आ रहा है कि हमारे उत्पाद बनाने वाले कर्मचारियों को अच्छी कामकाजी परिस्थितियां उपलब्ध करवायी जाएं। यह अभियान अखंडता की हमारी प्रमुख ब्रांड वैल्यू का समर्थन करता है अर्थात - हमारे ग्राहक हमसे उच्च मानकों की उम्मीद करते है और नैतिक कार्यों के लिए हम पर भरोसा करते हैं।

इसके साथ-साथ, हम समझते है कि जब लोगों को सम्मान दिया जाता है, या वो अच्छी परिस्थितियों में काम करते हैं और वेतन का उचित दर कमाते है तो वो और उनकी कंपनियां दोनों ही वृद्धि की प्रतिबद्धता और उत्पादकता से लाभ उठाते हैं। अंततः हमारे ग्राहक भी बेहतर गुणवत्ता, बेहतर मूल्य वाले उत्पाद का लाभ उठाते है और उन्हें आत्म संतुष्टि मिलती है।

हम इन लक्ष्यों को अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहमत मानकों के विकास, नियमित कार्यस्थल भ्रमण और लगातार सुधार की नीति के सर्मथन द्वारा प्राप्त करते हैं। जब मानकों को पूरा नहीं किया जाता है, या जहां मानकों को सुधारने की कोई प्रतिबद्धता नहीं होती है, वहाँ सख्त प्रतिबंध लागू किये जाते है।

वैश्विक विस्तार में एकमात्र तेज़ी और अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता नई चुनौतियाँ लाती हैं। हम एक प्रमुख खुदरा व्यापारी हैं जो पचास से अधिक देशों में एक्सक्लूसिव खुद के ब्रांड उत्पादों की एक विविध श्रृंखला की बिक्री कर रहे हैं। मार्क्स & स्पेन्सर उत्पाद अब दुनिया भर में निर्मित किये जाते हैं।

क्योंकि हमारे आपूर्तिकर्ताओं के पास प्रायः अपनी जटिल आपूर्ति श्रृखला होती है, इसलिए हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति की कार्य स्थिति पर नज़र रखना या उसे नियंत्रित करना असंभव होगा, जो अंततः मार्क्स & स्पेन्सर उत्पाद बनाने में योगदान देता है। हम किसी भी परिस्थिति में गैर-अनुमोदित फैक्ट्रियों या उन कारखानों से आपूर्ति किये गये उत्पादन को स्वीकार्य नहीं करेंगें जो प्रत्येक विशिष्ट अनुबंध के लिए हमारी अनुबंध प्रणाली से भिन्न होते हैं । हालांकि हम उन सभी चीजों को करने के लिये दृढ संकल्पित हैं, जिन को हम श्रृखला आपूर्ति के सभी चरणों में उचित साधन सिद्धांत लाने के लिए कर सकते हैं। इसलिए हम ने अपने विश्वास और मानकों को निर्धारित करने और अपने आपूर्तिकर्ताओं को निर्देशित करने के लिए अपने वैश्विक साधन सिद्धान्त (जिसे केवल 'सिद्धांत' भी कहा जाता है) को प्रकाशित किया है। सिद्धान्तों की एक प्रति इस पत्र के साथ लगाई गई है।

इन सिद्धान्तों से पता चलता है कि हमारे अनुबंधित आपूर्तिकर्ताओं को हमसे क्या अपेक्षायें हैं जैसे- वे जिनके साथ हमारा माल या सेवाओं का सीधा अनुबंध है – ताकि हम ये सुनिश्चत करें कि उनके परिसर स्वीकार्य मानकों को पूरा कर रहे हैं और उन में लगातार सुधार हो रहा है। हम इन सिद्धान्तों को बढ़ावा देने और अपने अनुबंधित आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा इनका अनुपालन करने के लिए उचित उपाय करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही उन्हें अपने आपूर्ति श्रृखला के भीतर करना चाहिये। ब्रांडेड वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं और फैंचाइजी भागीदारों से ऐसी ही व्यवस्था की स्थापना की अपेक्षा की जाती है।

मार्क्स& स्पेन्सर में , हम उन कंपनियों का चयन करने में बहुत सावधानी बरतते हैं, जो हमें उत्पादों और सेवाओं की सीधी आर्पूति करती हैं। हमारे ग्लोबल साधन सिद्धान्त हमारे साथ काम करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के मानकों की स्थापना करते हैं।

जैसे जैसे हमारे व्यापारिक संबंध विकसित होते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपूर्तिकर्ता अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अभ्यास के कोडों को ध्यान में रखते हुये, अपने मानकों को बढ़ाएंगे और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करेंगे। हमने अंतर्राष्ट्रीय कोड के साथ-साथ नैतिक व्यापारिक पहल (ईटीआई) के कई सिद्धान्तों को अपनाया है।

आपूर्तिकर्ताओं की जिम्मेदारी

हमारे उत्पादों का निर्माण करने वाले उद्योग और देशों के लिये हमारे पास उचित मानकों का एक स्पष्ट समूह है। यह आपूर्तिकर्ता का कर्तव्य है कि वो इन मानकों को प्राप्त करें और इन्हें बनाये रखें और इन्हें अपनी आपूर्ति श्रृंखला के साथ लागू करें।

पारदर्शिता

आज की इस तेज व पारदर्शी दुनिया में ये सब से बड़ी आवश्यकता बन गई है कि इन मानकों और प्रबंधन प्रणालीयों को हमारे आपूर्तिकर्ताओं के हर रोज के व्यापार का हिस्सा बनाया जाये, और साथ ही वह यह प्रदर्शित करने में सक्षम रहें कि वे ऐसा कर रहे हैं। इस भावना में एम & एस हमारे आपूर्तिकर्ताओं के साथ खुले, रचनात्मक और पारदर्शी तरीके से काम करने के लिये प्रतिबद्ध है और हम अपने आपूर्तिकर्ताओं से अनुरोध करते है कि वो भी ऐसा ही करें।

कार्यबल और मानवाधिकार

हमारे आपूर्तिकर्ताओं के लिये काम करने वाले लोगों से सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिये और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और बुनियादी मानवाधिकारों को संरक्षित और प्रचारित किया जाना चाहिये। प्रत्येक आपूर्तिकर्ता को सभी प्रासंगिक, स्थानीय और राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए और विशेष रुप से निम्नलिखित से संबधित सिद्धान्तों में उसके दायित्वों को पूरा करना चाहिये:

- मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रियाएं
- श्रम मानक और मानवाधिकार
- कोई भेदभाव नहीं और समान अवसर
- सभ्य कामकाजी परिस्थितियां
- स्वास्थ्य और सुरक्षा
- रोज़गार की शर्तें
- काम का समय और मजदूरी
- आधुनिक गुलामी और जबरदस्ती श्रम से बचाव

उत्पादन स्थल और लेबलिंग

आपूर्तिकर्ताओं को पहले से ही हमारे साथ प्रत्येक आर्डर के लिए इस्तेमाल होने वाली उत्पादन कार्यस्थल

या कार्यस्थलों से सहमत होना चाहिए: इन सहमति वाले स्थानों से हमारे ऑर्डरों की उप-ठेकेदारी की आज्ञा नहीं है।

मार्क्स & स्पेन्सर द्वारा बेचे जाने वाले सभी उत्पादों पर उनकी उत्पत्ति के देश का लेबल लगा होना चाहिये।

नियमित मूल्यांकन

हमारे आपूर्तिकर्ताओं और हमारे लोगो द्वारा सभी उत्पादों और उत्पादन स्थलों का नियमित रूप से दौरा और मूल्यांकन किया जाता है। हम सभी एक साथ लगातार सुधार के लिए प्रयासरत हैं।

पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी

कम से कम, आपूर्तिकर्ता को सभी प्रासंगिक स्थानीय और राष्ट्रीय नियमों को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा, हम उम्मीद करते हैं कि वे पर्यावरण से संबंधित सभी प्रासंगिक मार्क्स & स्पेन्सर मानकों को पूरा करेंगे।

आपूर्ति श्रृंखला में इन सिद्धान्तों का विस्तार

हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आपूर्तिकर्ता अपने आपूर्तिकर्ता से लेन-देन करने के लिए समान सिद्धान्तों को अपनायेंगे।

आपूर्तिकर्ताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता

एम&एस यह स्वीकार करता है कि उसके ऊपर अपने आपूर्तिकर्ताओं के प्रति जिम्मेदारियां हैं। ग्लोबल सोर्सिंग सिद्धान्तों का अंतिम भाग कुछ प्रमुख प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करता है जिन्हें एम&एस अपने आपूर्तिकर्ताओं को देता है।

आपूर्तिकर्ताओं को इन सिद्धान्तों को हर समय लागू करना चाहिए, और उन्हें यह भी दिखाना चाहिए कि वो ऐसा कर रहे हैं। हम किसी भी आवश्यक सुधारों के समर्थन के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम करेंगें लेकिन यदि आपूर्तिकर्ता उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है तो हम कारवाई भी करेंगे जिसमें ठेके रद्द करना और व्यापार बंद करना शामिल हैं।

मार्क्स और स्पेन्सर ग्लोबल सोर्सिंग सिद्धान्त

मैं, अधोहस्ताक्षरी, इस के माध्यम से संशोधित ग्लोबल सोर्सिंग सिद्धान्तों(जी.एस.पी) की प्रतियों की प्राप्ति को स्वीकार करता हूं।

हस्ताक्षर करके, हम मार्क्स & स्पेन्सर पीएलसी के साथ अपने नियमों और व्यापार की शर्तों के हिस्से के रूप में जीएसपी का अनुपालन करने के लिए अपना कानूनी दायित्व समझते हैं।

(हस्ताक्षर डालें)

....

(नाम और पद सम्मिलित करें)

(कंपनी का नाम सम्मिलित करें)

के लिए और उसकी ओर से

तारीख:.................................

ग्तोबल सोर्सिंग सिद्धान्त

सामान्य

यह तालिका उन मानकों को निर्धारित करता है जिनका हम अपने आपूर्तिकर्ताओं से अनुपालन करने की उम्मीद करते है, इसी तरह उन प्रक्रियाओं और प्रणालियों को भी निर्धारित करता है जिनके बारे में हम उन से उम्मीद करते हैं कि वो मानव अधिकारों के सम्मान और सभ्य कामकाजी परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए लागू करेंगे। प्रत्येक आपूर्तिकर्ता को कम से कम निम्न मानकों का पालन करने और निम्नलिखित प्रक्रियाओं को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। आपूर्तिकर्ता इनसे उच्च मानकों या अधिक कठोर प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

इन मानकों को तैयार करने में हमने संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र, काम पर मौलिक सिद्धान्तों और अधिकारों से समबन्धित आईएलओ घोषणा, व्यापार और मानव अधिकारों से समबन्धित संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र के महिला सशक्तिकरण सिद्धान्त, जल और स्वच्छता के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार, बच्चों के अधिकार और व्यापारिक सिद्धांन्त, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कॉम्पैक्ट, नैतिक व्यापारिक पहल आधार कोड और वैश्विक सामाजिक अनुपालन कार्यक्रम संदर्भ कोड सहित कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सहयोगी कोड से मदद ली है। ऐसा करके, हम अपने मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने और विभिन्न खरीद कंपनियों के मानकों के बीच तुलनात्मकता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक अनुपालन का बोझ कम कर सकते है।

प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया	
राष्ट्रीय कानून का अनुपालन	इन सिद्धान्तों के अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ताओं को सभी प्रासंगिक स्थानीय और राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों का पालन करना चाहिए। जब तक कि इन सिद्धान्तों में राष्ट्रीय कानून और किसी आपूर्तिकर्ता के दायित्व के बीच टकराव नहीं होता आपूर्तिकर्ता को यूएन मानकों का पालन करना चाहिए जो श्रमिकों, समुदायों, और अन्य अधिकार धारकों के लिए सुरक्षा के उच्च स्तर को बढ़ावा देते हैं।
मानव संसाधन नीतियां	आपूर्तिकर्ताओं को अपने आकार और कार्यबल के लिए उपयुक्त मानव संसाधन नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाना और कार्यान्वित करना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय कानून की आवश्यकताओं और इन सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
रोजगार और कर्मचारी संबंधों के बारे में जानकारी	किये जाने वाले कार्य को राष्ट्रीय कानून और अभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुपालन के मुताबिक स्थापित मान्यता प्राप्त रोजगार संबंध पर आधारित होना चाहिए। आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कार्यस्थल पर काम करने सभी श्रमिकों को रोजगार में प्रवेश करने से पहले, मजदूरी, घंटों और छुट्टियों सहित, उनकी नौकरी की परिस्थितियों के बारे में लिखित और महत्व योग्य जानकारी प्रदान की जाती है; और प्रत्येक बार भुगतान किए जाने वाले संबंधित भुगतान अवधि के लिए उनके वेतन के ब्योरे के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।

अस्थायी श्रमिक अधिकार	श्रम या सामाजिक सुरक्षा कानूनों के तहत श्रमिकों को नियमित रोजगार संबंधों से उत्पन्न होने वाले दायित्वों से बचने के लिए अस्थायी श्रम व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, केवल श्रम-अनुबंध, सब-कांट्रेक्टिंग, होम वर्किंग, शिक्षुता योजना का अत्यधिक उपयोग।
कर्मचारी परामर्श	आपूर्तिकर्ताओं को व्यापार से सम्बंधित जानकारी साझा करने के लिए श्रमिकों और उनके लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ संचार और परामर्श करने की प्रक्रिया को विकसित करनी चाहिए और प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहिए। जहां प्रासंगिक हो, वहां एक लिंग समिति पर यह सुनिश्चित करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों पर विचार किया जाता है और उनकी विचार प्रबंधन द्वारा सुनी जाती है।
	राष्ट्रीय कानून के मुताबिक, श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं के प्रबंधन की पूर्व अनुमति के बगैर बिना किसी भेदभाव के अपनी पसंद अनुसार ट्रेड यूनियन में शामिल होने या उसका गठन करने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार रखते हैं। आपूर्तिकर्ताओं को वैध गतिविधियों में हस्तक्षेप, बाधा या रूकावट नहीं डालनी चाहिए।
	जहां संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार कानून के तहत प्रतिबंधित है, वहां आपूर्तिकर्ताओं को श्रमिकों को उनकी समस्याओं को व्यक्त करने और रोजगार की स्थिति और रोजगार की शर्तों के संबंध में उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक तंत्र विकसित करने में बाधा नहीं डालनी चाहिए।
	आपूर्तिकर्ताओं को कार्यकर्ता प्रतिनिधित्व और ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों के प्रति एक खुला रूख अपनाना चाहिए।
	आपूर्तिकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक मानकों के अनुसार किसी अन्य कार्यकर्ता प्रतिनिधियों या ट्रेड यूनियन सदस्यों की सदस्यता, या किसी ट्रेड यूनियन के साथ संबद्धता, या उनकी वैध व्यापार संघ गतिविधि के संबंध में भेदभाव या अन्यथा दंडित नहीं करना चाहिए।
	राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुसार, आपूर्तिकर्ता को श्रमिकों के प्रतिनिधियों को उनके प्रतिनिधि कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यस्थल तक पहुंचने देना चाहिए।
बंधुआ मजदूर	सभी कार्य को किसी भी दंड के डर से नहीं,बल्कि अपनी स्वेच्छा से किया जाना चाहिए।
	आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों को काम पाने के लिए नियोक्ता, श्रम प्रदाताओं या एजेंसियों को जमा/वित्तीय गारंटी/ भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, और उनके पहचान दस्तावेजों की मूल प्रतियां (जैसे कि पासपोर्ट, पहचान पत्र आदि) अपने पास नहीं रखने चाहिए।
	बंधुआ/ आश्रित श्रम निषिद्ध है। आपूर्तिकर्ताओं को उचित नोटिस देने के बाद श्रमिकों के रोजगार को समाप्त करने और उनके सभी वेतन प्राप्त करने के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। आपूर्तिकर्ताओं को श्रमिकों की पाली के बाद कार्यस्थल छोड़ने के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।
	यहाँ कोई अनैच्छिक , बंधुआ या जबरन श्रमिक नहीं होना चाहिए।
बाल श्रम	आपूर्तिकर्ताओं को उन श्रमिकों को नियोजित नहीं करना चाहिए जिनकी उम्र निम्न से कम है:

	i) आपूर्तिकर्ता पर लागू रोजगार के लिए कानूनी न्यूनतम आयु; या ii) अनिवार्य शिक्षा के पूरा होने की आयु; किसी भी घटना में, आपूर्तिकर्ता को 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को काम पर नहीं रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में इस नीति को सुनिश्चित करने के लिए हर समय उम्र सत्यापन जाँच लागू करनी चाहिए।
	आपूर्तिकर्ताओं को बाल श्रमिक की भर्ती नहीं करनी चाहिए और न ही बच्चों का किसी भी तरह का का शोषण करना चाहिए। अगर बच्चे आपूर्तिकर्ता के लिए सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से काम करते पाये गए तो आपूर्तिकर्ता को उन योजनाओं, कार्यक्रमों में योगदान देना चाहिए जो पहले बच्चे के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखे, और बच्चे को उचित शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाये।
	18 वर्ष से कम आयु के युवा श्रमिकों को रात में काम करने के लिए या उन स्थितियों में काम करने के लिए जो उनकी शारीरिक, मानसिक,आध्यात्मिक ,नैतिक या सामाजिक देवत्व को नुकसान पहुँचाते हैं या जो उनके स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा या नैतिक अखंडता से समझौता करते हैं, नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त जोखिम आकलन और स्वास्थ्य, काम की स्थिति, और काम के घंटे की नियमित निगरानी होनी चाहिए।
भेदभाव और समान अवसर का निर्धारण	आपूर्तिकर्ताओं को सभी श्रमिकों से सम्मान के साथ पेश आना चाहिए।
	आपूर्तिकर्ताओं को रोजगार संबंध को समान अवसर और निष्पक्ष व्यवहार के सिद्धान्त पर आधारित करना चाहिए। उन्हें रोजगार के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव का समर्थन या उस में सहभागिता नहीं करनी चाहिए। आपूर्तिक्रताओं को नौकरी पर रखने और रोज़गार, पदोन्नति, पुरस्कार, प्रशिक्षण तक पहुंच, नौकरी, मजदूरी, लाभ, अनुशासन और समाप्ति के लिए आवेदन जैसे रोजगार के कार्य में रंग, उम्र, लिंग,यौन अभिविन्यास, जातीयता, विकलांगता, धर्म, राजनीतिक संबद्धता, संघ सदस्यता, राष्ट्रीय मूल, या वैवाहिक स्थिति के आधार पर किसी भी कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपूर्तिकर्ताओं को गर्भावस्था परीक्षण या गर्भवती श्रमिकों के खिलाफ भेदभाव की आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ कार्यस्थल सुरक्षा के लिए लागू कानूनों या विनियमों के तहत ये काम जरूरी हो,वहां ऐसा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ता श्रमिकों या संभावित श्रमिकों को चिकित्सीय परीक्षणों से गुजारने के लिए ना कहें जो भेदभाव तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है,लेकिन अगर कार्यस्थल या खाद्य सुरक्षा के लिए लागू कानूनों या नियमों के अनुसार ऐसा करना जरूरी हो तो फिर ये काम किया जाएगा। आपूर्तिकर्ताओं के पास एक समान अवसर रोजगार नीति होनी चाहिए, जो रोजगार प्रथाओं में लिंग समानता को बढ़ावा देती है, मातृत्व अवकाश का प्रावधान और बाल देखभाल का उपयुक्त समर्थन करती है।
उत्पीड़न और दुरुपयोग	आपूर्तिकर्ताओं को कार्यस्थल को उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। आपूर्तिकर्ताओं को कार्यस्थल को शारीरिक रूप से सभी प्रकार के अनुशासन, शारीरिक क्षति,

	यौन अन्य प्रकार की धमकी को निषिद्ध करना चाहिए। आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी परिसरों में प्रवेश करने या बाहर निकलने पर अनुचित प्रतिबंध नहीं रखना चाहिए। आपूर्तिकर्ताओं को कार्यस्थल में उत्पीड़न और गैरकानूनी भेदभाव को रोकना चाहिए। जहां संभव हो वहां आपूर्तिकर्ताओं को गैर भेदभाव और उत्पीड़न पर प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।
अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं	आपूर्तिकर्ताओं को लिखित अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं को स्थापित करना चाहिए और उन्हें श्रमिकों को स्पष्ट और महत्वयुक्त सम्बोधन में समझाना चाहिए। सभी अनुशासनात्मक कार्रवाइयों और प्रदर्शन से संबंधित प्रबंधन कार्यों को रिकार्ड करना चाहिए और श्रमिकों को समझाना चाहिए। श्रमिकों को अनुशासनात्मक कार्रवाई में ट्रेड यूनियन या उचित प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिए।
कार्यस्थल संबंधी शिकायतें	कार्यस्थल से संबंधित चिंताओं को व्यक्त करने के लिए आपूर्तिकर्ता को श्रमिकों (और उनके संगठनों, जहां वे मौजूद हैं) के लिए एक शिकायत तंत्र प्रदान करना चाहिए। इस शिकायत तंत्र में एक उचित स्तर का प्रबंधन होना चाहिए और चिन्ताओं को तेजी के साथ निबटाना चाहिए, और इस के लिए एक ऐसी समझदार और पारदर्शी प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए, जो किसी भी प्रतिशोध के बिना संबंधित लोगों को समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करती है। तंत्र को अनाम शिकायतें व्यक्त करके उन्हें निबटाने की सहूलियत देनी चाहिए। इस तंत्र के अस्तित्व और गुंजाइश से स्पष्ट रूप से सभी श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों को सूचित किया जाना चाहिए, और सभी श्रमिक इसे समान रूप से प्रयोग कर सकें।
काम करने की स्वस्थ और सुरक्षित स्थिति	आपूर्तिकर्ता को कार्यस्थल पर मौजूद सभी श्रमिकों के लिए सभी कार्य और आवासीय सुविधाओं में सुरक्षित और स्वच्छ परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए और उन्हें पेशेवर स्वास्थ्य और सुरक्षा के विनियमन की प्रक्रियाओं के एक स्पष्ट समूह का पालन करना होगा।
	आपूर्तिकर्ता को चाहिए कि वो कार्यस्थल के वातावरण में अंतर्निहित खतरों के कारणों को कम करके, कार्य के दौरान होने वाली,अथवा इस से जुड़ी हुई दुर्घटना और स्वास्थ्य को पहुँचने वाली चोटों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठायें। आवश्यकतानुसार उपयुक्त और प्रभावी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करना आवश्यक है।
	आपूर्तिकर्ता को सभी श्रमिकों को स्वच्छ शौचालय की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जो श्रमिक की गरिमा का सम्मान करती है और उन्हें सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल, और अगर लागू हो, तो भोजन तैयार करने और भंडारण के लिए सैनिटरी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ।
	आपूर्तिकर्ताओं को श्रमिकों और प्रबंधन को नियमित और अभिलिखित स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, और इस तरह के प्रशिक्षण को सभी नए या पुनःनियत श्रमिकों और प्रबंधन के लिए दोहराया जाना चाहिए।
	आपूर्तिकर्ता को एक वरिष्ठ प्रबंधन प्रतिनिधि को स्वास्थ्य और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सौंपनी चाहिए और उन्हें नियमित जोखिम का आकलन करना चाहिए।
	आपूर्तिकर्ता को आग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करना चाहिए, और जहां उपयुक्त हो वहां आवासीय सुविधाएं सहित, भवनों और उपकरणों की ताकत, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सभी कार्यस्थलों पर एक प्रभावी अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए। इसमें

	निम्नलिखित को शामिल होना चाहिए, लेकिन यह निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं है:: - - संपूर्ण अग्नि सुरक्षा के लिए महाप्रबंधक की ज़िम्मेदारी - निरंतर जोखिम आकलन - अग्नि सुरक्षा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण - उपयुक्त और विश्वसनीय उपकरण - साफ़ और सुरक्षित निकास प्रणाली - सभी पाली और सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए नियमित आग अभ्यास (कार्यस्थल को प्रशिक्षित कर्मियों की सूची रखनी चाहिए) सभी प्रणालियों की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए।
	आपूर्तिकर्ता को पर्याप्त चिकित्सा सहायता और सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।
श्रमिक आवास	आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाएं, जहां उपलब्ध कराई गई हैं, स्वच्छ और सुरक्षित हैं और श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करती हैं। श्रमिकों के आवास की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उस से श्रमिकों या संघ की आने-जाने की स्वतंत्रता प्रतिबंधित न हो। आपूर्तिकर्ताओं को गैर-भेदभाव और समान अवसर के सिद्धांतों के अनुरूप तरीके से आवास प्रदान करना चाहिए।
मजदूरी और लाभ	आपूर्तिकर्ताओं को श्रमिकों को उचित मजदूरी और लाभों का भुगतान करना चाहिए और उनके पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए कि श्रमिक पूरी तरह से प्राप्त मजदूरी को समझें। आपूर्तिकर्ता को मजदूरी, ओवरटाइम वेतन, सभी कानूनी तौर पर आवश्यक लाभ और भुगतान छूट प्रदान करके अपने सभी श्रमिकों को क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, जो क्रमशः राष्ट्रीय कानूनी न्यूनतम मजदूरी और सभी लागू कानूनों और नियमों के अनुसार या इस से अधिक हो। (यदि उद्योग न्यूनतम मानदंड और / या सामूहिक समझौते लागू हैं, बशर्ते कि वे न्यूनतम मजदूरी से अधिक हैं, तो इन का पालन किया जाना चाहिए)। वेतन का भुगतान नियमित और समय पर किया जाना चाहिए। आपूर्तिकर्ता को मजदूरों को एक उचित मेहनत मजदूरी देने के लिए काम करना चाहिए।
	आपूर्तिकर्ताओं को अनुशासनात्मक उपाय के रूप में मजदूरी से कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। आपूर्तिकर्ताओं को मजदूरी से कोई ऐसी कटौती नहीं करनी चाहिए जो कि अनधिकृत है और राष्ट्रीय कानून द्वारा इसकी अनुमति प्रदान नहीं की गई है। श्रमिकों को उनके वेतन में की गई किसी भी कटौती के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाना चाहिए। सभी कटौती दर्ज की जानी चाहिए।
	आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन और परिस्थिति प्राप्त हों।
काम करने का समय	आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काम के समय राष्ट्रीय कानूनों या न्यूनतम मानदंड उद्योग मानकों या उचित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं, जो भी श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक

	सुरक्षा प्रदान करें। कार्य समय, ओवरटाइम को छोड़कर, प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी सप्ताह में कुल घंटे (ओवरटाइम सहित) एक सप्ताह में 60 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्य के घंटे केवल असाधारण परिस्थितियों में एक सप्ताह में 60 घंटे से अधिक हो सकते हैं जब कि निम्न में से कोई भी परिस्थिति मौजूद हो: राष्ट्रीय कानून द्वारा इस की अनुमति दी गई है; एक सामूहिक समझौते द्वारा इसकी अनुमति दी गई है जिस पर श्रमिकों के ऐसे संगठन के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत की गई है जो कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है; श्रमिकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखा जाता है ; और नियोक्ता यह प्रदर्शित कर सकता है कि असाधारण परिस्थितियां लागू होती हैं जैसे मौसमी काम, दुर्घटनाएं या आपातकाल। सभी ओवरटाइम स्वैच्छिक होना चाहिए और नियमित आधार पर इस का अनुरोध नहीं किया जाना चाहिए।
	आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी श्रमिकों को चौदह दिनों में औसतन दो दिन की छुट्टियों के साथ-साथ वार्षिक अवकाश भी मिलें।
एजेंसी / परोक्ष रूप से कार्यरत श्रमिक	आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि उनके कार्यस्थल पर काम करने वाले श्रमिक रोजगार के लिए किसी भी एजेंट को किसी भी तरह की भर्ती फीस का भुगतान न करें। आपूर्तिकर्ता अपनी कार्यस्थल पर सभी श्रमिकों के अधिकारों के लिए जिम्मेदार होते हैं चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं या श्रम प्रदाता, एजेंट या ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त या कार्यरत हैं। आपूर्तिकर्ता के पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि उन के पास नौकरी शुरू करने या कार्यस्थल पर मौजूद होने के तीन दिनों के भीतर अपनी कार्यस्थल पर काम कर रहे सभी श्रमिकों का रिकॉर्ड है, जिसमें एजेंसी, श्रम प्रदाता या ठेकेदार के माध्यम से लगे मजदूर भी शामिल हैं। आपूर्तिकर्ता एजेंसी / श्रम प्रदाता श्रमिकों के इस्तेमाल से संबंधित किसी भी स्थानीय कानून को जरूर पूरा करें, इस में उनके स्वयं के आपूर्तिकर्ताओं और उप-ठेकेदारों में काम करने वालें श्रमिक और एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए श्रमिक भी शामिल हैं , उदाहरण के लिए वो इन मानकों को तीसरे पक्ष के नियोक्ता के साथ संविदात्मक या प्रक्रियात्मक समझौते में भी शामिल करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रमिकों के कल्याण (उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा, भुगतान और लाभ की अवधि, आवास, गैर-भेदभाव सहित) को संरक्षित किया जाता है, आपूर्तिकर्ता अपने श्रम प्रदाता के साथ एक स्पष्ट लिखित समझौता करे, और इस समझौते के पालन की निगरानी भी करे।
काम का अधिकार	आपूर्तिकर्ता के पास एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाए कि उनके परिसर में काम कर रहे सभी श्रमिकों के पास दस्तावेज हैं और उन्हें कानूनी तौर पर काम करने का अधिकार है।
फैक्टरी बंद /	श्रमिकों की बर्खास्तगी से संबंधित पुनर्गठन / पुनर्निर्माण या बंद करने से पहले,

पुनर्गठन / पुनर्रचना	आपूर्तिकर्ताओं को एक ऐसी प्रक्रिया को लागू करना चाहिए जो व्यवहार्य विकल्पों की समीक्षा करने और श्रमिकों पर छंटनी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए छंटनी योजना को निर्धारित करने पर शामिल हो। छंटनी योजना गैर-भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित होगी और श्रमिकों और उनके संगठनों के साथ परामर्श को प्रतिबिंबित करेगी। आपूर्तिकर्ता सभी कानूनी और ठेका संबंधी आवश्यकताओं का पालन करेंगे। श्रमिकों को सभी बकाया वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए और उन्हें उनकी नोटिस अवधि के लिए भुगतान किया जाना चाहिए।
उप अनुबंध	एम एंड एस की पूर्व प्राधिकृत अनुमति के बिना अन्य आपूर्तिकर्ताओं, कार्यस्थल या इकाइयों के साथ उप-अनुबंध करने की अनुमति नहीं है
घूसखोरी और भ्रष्टाचार	आपूर्तिकर्ताओं को हमारी ओर से काम करने वाले मार्क एंड स्पेंसर के कर्मचारियों या एजेंटों या ठेकेदारों को कोई उपहार या अन्य लाभ नहीं देना चाहिए, जिसे रिश्वत माना जा सकता है और न ही उन्हें इन की ओर से ऐसी कोई चीज स्वीकार करनी चाहिए। इसी तरह मार्क्स एंड स्पेन्सर कर्मचारियों को भी किसी ऐसे उपहार या सेवा को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसे रिश्वत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आपूर्तिकर्ता को विज्ञापन, बिक्री और प्रतियोगिता में उचित व्यापार मानकों को बनाए रखना चाहिए।
वचनबद्धता	आपूर्तिकर्ताओं को लागू कानूनों और विनियमों और प्रचलित उद्योग प्रथाओं के अनुसार अपने व्यवसाय की गतिविधियों, संरचना, वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन के बारे में जानकारी को सही ढंग से रिकॉर्ड और प्रकट करना चाहिए। आपूर्तिकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वे एमएंडएस के नैतिक व्यापार कार्यक्रम के साथ जुड़ें और श्रमिक के इंटरव्यू सहित लेखापरीक्षा, भेंट और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए तैयार हों।
वातावरण	आपूर्तिकर्ताओं को कम से कम सभी स्थानीय और राष्ट्रीय पर्यावरण नियमों का पालन करना चाहिए और पर्यावरण पर आपूर्ति श्रृंखला के जोखिम के प्रभाव को समझने के लिए उसके मूल्यांकन को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें पर्यावरण से संबंधित सभी प्रासंगिक मार्क्स &स्पेन्सर मानकों को पूरा करना होगा।
ज़मीन के अधिकार	हम सभी आपूर्तिकर्ताओं से ये उम्मीद करते हैं कि वो भूमि अधिकारों के निशुल्क और पहले से सूचित सहमति के अभ्यास का पालन करेंगे और आपूर्तिकर्ताओं के लिए ये जरूरी है कि वो समुदायों में काम करते समय भूमि अधिकार के स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार रहेंगे। जहां लागू हो, वहां इसमें समुदायों के भीतर एक उचित सावधानी प्रक्रिया के साक्ष्य शामिल हो सकते हैं जहां संपत्ति और भूमि के लिए स्थापित अधिकार होते हैं।
आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी	ये हमारे आपूर्तिकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो इन मानकों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला के साथ लागू करें। उन्हें अपनी आपूर्ति श्रृंखला के जोखिम आकलन के भाग के रूप में महिलाओं, प्रवासी मजदूरों, स्वदेशी लोगों, छोटेधारकों और घर के श्रमिकों और उप-ठेकेदार जैसे अधिक कमजोर समूहों के बारे में पता होना चाहिए और इन समूहों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपायों को लागू करना चाहिए।

आपूर्तिकर्ताओं के लिए हमारी प्रतिबद्धता

उम्मीदों की स्थापना	हम आपूर्तिकर्ताओं के उद्योग, देश और व्यवसाय के लिए उपयुक्त मानकों और अपेक्षाओं को स्थापित करने के लिए उन के साथ काम करते हैं।
यथोचित परिश्रम	हम अपने व्यापार के मानवाधिकार और स्थिरता के प्रभावों का मूल्यांकन करने की भरपूर कोशिश करते हैं और अपने नकारात्मक प्रभावों को कम करने और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हैं।
मार्गदर्शन	हम अपनी आवश्यकताओं को समझने और नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे ताकि वो हमारे मानकों का पालन करने में सक्षम हो जाएं।
समर्थन	हम आपूर्तिकर्ताओं को व्यावहारिक समर्थन, सलाह और सहायता प्रदान करते हैं ताकि वे अपने आप को उच्च मानकों को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित कर सकें।
संवाद	जहां उपयुक्त होगा, वहां हम आपूर्तिकर्ताओं के साथ खुला संचार बनाए रखने और अपने मानकों और व्यवहार के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सहमत वार्ता तंत्र प्रदान करेंगे।
परिवेदना और शिकायतें	हम एक प्रक्रिया प्रदान करेंगे ताकि हमारे मानकों और व्यवहार के बारे में आपूर्तिकर्ताओं से मिलने वाली सभी शिकायतों को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से निपटाया जाए।
खरीददारी प्रथा	हम अपनी खरीददारी प्रथाओं कि समीक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे व्यवहार हमारे मानकों का पालन करने में आपूर्तिकर्ताओं की मदद करते हैं।
आरोप	एम एंड एस संबद्ध सभी पार्टियों के लिए स्पष्ट संचार के साथ संपूर्ण और सावधान तरीके से आपूर्तिकर्ताओं के बारे में सभी आरोपों की जांच करेगा।
मूल्यांकन	हम यह सुनिश्चित करते हैं कि नियमित रूप से सभी उत्पादन स्थलों का दौरा किया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है और हम सुधार पर सलाह और प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। हम मूल्यांकन विधियों के आंकलन की सुविधा देंगे जो मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता देगी। हम उत्पादन स्थलों के हिसाब-किताब की जांच और निरीक्षण करने के लिए तीसरे पक्ष को नियुक्त कर सकते हैं।
समापन	अगर आपूर्तिकर्ता इन मानकों पर खरा उतरने में लगातार असफल रह रहे हैं और उपयुक्त बदलाव करना नहीं चाहते और मुनासिब सुधार करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम कार्रवाई करेंगे, जिसमें अनुबंध रद्द करना और व्यापार को बंद करना शामिल हो सकता है।
हितधारकों की वचनबद्धता	हम नियमित रूप से हितधारकों से अपने आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावों पर उनके दृष्टिकोणों को समझने के लिए परामर्श लेंगे, और जहां उपयुक्त होगा, अपने कार्यक्रमों और परियोजनाओं में काम करने की स्थिति और मानव अधिकारों में सुधार करने के लिए हितधारकों को शामिल करेंगे।